

मध्य प्रदेश शासन
रखूल शिक्षा विभाग
गंत्रालय

वल्लभ भवन, ओपाल-462004

क्रमांक-४ | /1016506/2022/20-3
प्रति.

ओपाल, दिनों १३/१/२०२३

सचिव
री०बी०एस०ई०,
वाई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संरथा को री०बी०एस०ई० वई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रगाण पत्र देवे वावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संरथा-माउंट लिटेरा जी स्कूल ओपाल, जिला-ओपाल, म०प्र० को री०बी०एस०ई० वई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रगाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता हैः-

- (1) केन्द्रीय माध्यगिक शिक्षा गण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपर्यात भी मध्यप्रदेश माध्यगिक एवं उच्चतर माध्यगिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रातिक्रिया का पालन किया जावेगा।
- (2) दियालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संगागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उक्ते द्वारा नामांकित एक प्रतिविधि को सदरस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदरस्य की उपरिथित अनिवार्य होगी।
- (3) संरथा द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-राज्य प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण बही किया जायेगा।
- (4) संरथा तिगिन्व आवरणों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का गैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संरथा से व्यवहार पत्र लिया जाये।
- (5) संरथा द्वारा प्रदेश के खेल, आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान गोलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक गृजिका प्रदान की जायेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संरथा को ऐप की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संरथा निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संरथा का अनापत्ति प्रगाण पत्र रामाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

PRINCIPAL
Mount Litera Zee School
Bhopal

निरन्तर...2

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तके एवं लोखन सामग्री खुले बाजार से क्य करने की गुणिधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्य करने की गांध्यता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य बाहनों का ही उपयोग विज्ञा जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले बाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू ऐल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था गो गाव० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अधिन-शब्दन यंत्रों की आतश्यक रूप से व्यवरथा की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में रागय-रामय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करवा होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में एकूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा रागय-रामय पर जारी निर्देशों का पालन करवा होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं वर्ग के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किसी पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं गांध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्कीमिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गौर-शैक्षणिक अगले की रोक शर्तें जो कि राज्य शासन के रागरूप होनी चाहिए के पालन व होने की विधति में संबंधित संगागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु राशन होंगे।
- (15) शहरक निरीक्षण के पश्चात एक बार माव्यता प्रदान कर दिये जाने पर रोकायटी/द्रूट माव्यता के रागय लावाकृत विक्री भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। एकूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी रागय रवूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के रागय यह पाया जाता है कि रोकायटी/द्रूट विक्री मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संगागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को जाव्यता दिया, 2017 के नियम-11 के उपरियम-(1) में विविध प्रक्रिया का.....


निरन्तर....3

113//

अनुसरण करते हुए रकूल की मान्यता निलंबित करवे और पश्चात्यर्ति
इसे वापिस लेवे की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करवे पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशसूचार,


18/11/23

(प्रमोद सिंह)


उप राजिव

म0प्र0शासन, रकूल शिक्षा विभाग

पृ० कर्मांक-५२/१०१६५०६/२०२२/२०-३ ओपाल, दि० १८/११/२०२३

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मानो राज्यगंत्री (रक्तंत्र प्रभार), रकूल शिक्षा विभाग,
ओपाल।
- (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, ग0प्र0 ओपाल।
- (3) राजिव, माध्यगिक शिक्षा गण्डल, ग0प्र0 ओपाल।
- (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, ग0प्र0।
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-ओपाल, ग0प्र0।
- (6) प्राचार्य, अशारकीय संस्था-नाउंट लिटेरा जी रकूल ओपाल,
जिला-ओपाल, ग0प्र0।
- (7) फोलडर प्रति,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधेष्ठित।


18/11/23

उप राजिव

म0प्र0शासन, रकूल शिक्षा विभाग



PRINCIPAL
Mewa Luree Zoo School
Bhopal